

SUMMARY TRAIL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court of :- चारुलता दांगी, न्यायिक मजि० प्र० श्रेणी न्यायालय सनावद

Case No. 1643/20

Complaint report made on- 03-01-20

Name and address of the complainant abkari Sanawad

Name parentage, caste, and address of accused

नाम अभियुक्त :- लेगभकार मिता मुखारि उम्र ६६ - वर्ष
निवासी सनावद तह. सनावद

The offence complained of, and date of, its date of, its alleged commission

आपके विरुद्ध अभियोग है कि आपने दिनांक 03-01-19 को समय 16:00 बजे, स्थान (सुचालित नुमरी), में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के 11 पाव देशी रकन - शराब रखी ?

आपका उक्त कृत्य म० प्र० आबकारी अधिनियम की धारा 34-क के अन्तर्गत दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। क्या आप उक्त अपराध करना स्वीकार करते हो अथवा विचारण चाहते हो ?

(चारुलता दांगी)
न्यायिक मजि.प्र.श्रे.सनावद

the plea of the accused and his examination (if any)_

अभियुक्त का अभिवाक्

मुझे अपराध स्वीकार है। मैंने अपने पास 11 पाव देशी रकन शराब रखी थी। गलती हो गई। माफ किया जावे।

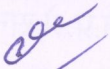
(चारुलता दांगी)
न्यायिक मजि.प्र.श्रे.सनावद

the offence proved if any, and in case under clause (d) clause (e) clause (f) or clause (g) of Sub section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

:: निर्णय ::
(आज दिनांक 24/01/2020 को घोषित)

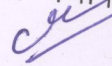
- (1) अभियुक्त का विचारण म0प्र0आबकारी अधिनियम की धारा 34(क) के अपराध व लिये किया जा रहा है।
- (2) अभियुक्त ने स्वेच्छा अपराध करना स्वीकार किया है। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक की गई स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।
- (3) अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को म0प्र0आबकारी अधिनियम की धारा 34-क के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए सिद्धदोष ठहराया जाता है।
- (4) अस्तु अभियुक्त को म0प्र0आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध के लिये न्यायालय उठने तक की सजा एवं रुपये 1200/- (एक हजार दो सौ रुपये) अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि जमा करने के व्यतिक्रम पर आरोपी को 05 दिवस का सादा कारावास पृथक से भुगताया जावें।
- (5) प्रकरण में जप्तशुदा शराब को विधिवत् नष्ट किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।



(चारुलता दांगी)
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी, सनावद,
जिला मंडलेश्वर

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।



(चारुलता दांगी)
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी, सनावद,
जिला मंडलेश्वर